न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–16/2019(जीसीएमएस नम्बर 2019/00058)

1. रामजीलाल पुत्र जग्गनाथ, जाति मीना निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
2. देव नारायण पुत्र जग्गनाथ, जाति मीना निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
3. घनश्याम पुत्र जग्गनाथ जाति मीना निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
4. शान्ति देवी पत्नि चेतराम जाति मीना निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
5. राजू पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
6. रामपाल पुत्र डूँगा जाति मीना निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोती लाल पुत्र छोटू लाल, जाति मीना निवासी ग्राम यारलीपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हरलाल सिंह एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सतीश कुमार पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक आदेश तब तक पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया जाता, मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 215/44 की सीमा से लगती भूमि खसरा नम्बर 216/44 के खातेदार काश्तकार है, इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया तथा ना ही उन्हे सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किया गया। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों विपरित होने से निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उनके समक्ष जो प्रार्थना

P.T.O.

पत्र प्रस्तुत किया था वह बदनियतिपूर्वक प्रस्तुत किया गया था तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 215/44 के किसी हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नही था तथा प्रारम्भ से ही भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे में ही है तथा वो ही भूमि को काश्त करते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि जिस सीमाज्ञान के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उनके समक्ष पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस सीमाज्ञान के लिऐ अपीलार्थीगण को तहसीलदार द्वारा कोई जानकारी नही दी गई। समावर्ती भूमि खसरा नम्बर 217/44 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण के नाम अंकित है जिसक बावजूद तहसीलदार द्वारा बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये तहसीलदार कार्यालय में बैठकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया हे कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 की पूर्व में कोई जानकारी नही थी दिनांक 16.06.2019 को हल्का पटवारी से अपीलान्ट संख्या 1 रामजीलाल जमाबन्दी की नकल निकलवाने हेतु सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने अपीलान्ट संख्या 1 से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वर्ष 2017 में दिनांक 13.10.2017 को उपखण्ड अधिकारी लालसोट से पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करवाया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार से मिलीभगत कर हल्का पटवारी व पुलिस थाना लालसोट को मौके पर उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया है तथा उक्त पत्थगरढ़ी दिनांक 30.05.2019 की प्रतिलिपि भी अपीलार्थी संख्या 1 को हल्का पटवारी ने दिखाई तथा हल्का पटवारी ने कथन किया कि पत्थरगढ़ी की आड में आप लोगों को आपकी भूमि से बेदखल किया जायेगा तथा प्रकरण में आप लोगों को पक्षकार भी नही बनाया, तत्पश्चात् अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.06.2019 को अपीलाधीन आदेश व पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी उसे दिनांक 18.06.2019 को ही नकल दी गई। इस प्रकार दिनांक 13.10.2017 से दिनांक 18.06.2019 तक की अवधि को जानकारी के अभाव में मुजरा दिये जाने के पश्चात् अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अन्यथा भी अवैध आदेश को निरस्त करने के लिये मियाद अधिनियम कोई बाधा उत्पन्न नही करता है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपनी अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 215/44 जिसके पूर्व खसरा नम्बर 44/1 का रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नालावास तहसीलदार लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें वह काश्त

P.T.O.

कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के आस पड़ौस के खातेदार रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने की कुचेष्टा करते रहते है तथा सीमाओं पर अतिक्रिमण कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी अधिकारो का हनन करते है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार लालसोट को आवेदन करने पर राजस्व टीम गठित कर दिनांक 15.05.2015 व दिनांक 09.06.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी में करवाया गया है तथा मौके पर जरीब चलवाकर सीमाओं को चिन्हित किया गया परन्तु पडोसी खातेदारों ने राजस्व ऐजेन्सी की टीम द्वारा चिहिन्त की गई आराजी भूमि की सीमाओं को नष्ट कर दी जिसके अभाव में रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी व अधिपत्य की कृषि भूमि का सद्पयोग करने से वंचित होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में रेस्पोडेन्ट की आराजी की पत्थरगढ़ी से कैसे प्रभावित है, कही पर भी अंकित नही किया है। अपीलार्थीगण की प्रकरण में कोई लोकस स्टेण्डाई नही है, प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विवाद भी नही है और अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुतोष भी नही चाहा गया है। केवल मात्र अपीलार्थीगण अपने आपको पड़ौसी खातेदार बताकर पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में आपत्ति कर रहे है जबकि पत्थरगढी रेस्पोडेन्ट की आराजी की हुई है। अगर अपीलार्थीगण भी अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाते है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न ग्राम नालावास की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 अवलोकन से यह विदित है कि आराजी खसरा नम्बर 215/44 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त भूमि का दिनांक 09.06.2017 को सीमाज्ञान किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में उज्रात करने का अधिकार अपीलार्थीगण को कानूनन प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 को यथावत रखा जाता है। यदि अपीलार्थीगण नियमानुसार अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने चाहे तो इसके लिये वह स्वतंत्र है।

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।